बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3 / निदे0(प्रा0प0प्र0के0)01–32–01 / 2017 135

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक– 27.02.18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु कुल– ₹7,50,000/– (सात लाख पचास हजार रू0 मात्र) का आवंटन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– 2961 दिनांक– 05.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre के माध्यम से CAT एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति दी गई है।

2– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु कुल– ₹7,50,000/– (सात लाख पचास हजार रू0 मात्र) की राशि पृष्ठ– 2 पर अंकित विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

3– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01– अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0012–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, 0012.13.01–कार्यालय व्यय, 0012.28.02– संविदा सेवाएँ, मांग संख्या–44, विपत्र कोड–44–2225012770012 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगें। वे इस राशि की निकासी एकमुश्त कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को उपलब्ध करायेगें। निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना द्वारा राशि का व्यय संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित राशि के आलोक में करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करायेगें। जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक– 3002 दिनांक– 26.04.2017 के आलोक में एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

6– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

7– इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है ।

8– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक– 3/निदे0(प्रा0प0प्र0के0)01–32–01/2017– 135 पटना, दिनांक– 27.02.18

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/ प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी 3 डी0/सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 27.2.18

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु आवंटित राशि की विवरणी।

(₹ में)

क्रमांक	मद का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1.	कार्यालय व्यय	90,000
2.	संविदा सेवायें	6,60,000
	कुल योग	7,50,000

(सात लाख पचास हजार रू0 मात्र)

निदेशक 27.2.18